तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 298/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/538) बअनवान सुजाराम बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

सुजाराम व अन्य

बनाम

राजस्थान सरकार इत्यादि

उपस्थित

1. श्री चैनसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. रोशनलाल, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या 02 से 6/1
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. एक

आदेश

दिनांक 24.02.2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 55/2024 अनवान तुलछाराम व अन्य बनाम सुजाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 05 अप्रैल 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 23 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात खसरा नं. 390/3 रकबा 00.2023 हैक्टेयर, खसरा नं. 637/390 रकबा 00.4532 हैक्टेयर, खसरा नं. 390/4 रकबा 00.0809 हैक्टेयर ग्राम घेवड़ा के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनके विरुद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर दी। अपीलांट् वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आराजी पर काबिज काश्त है तथा वादग्रस्त आराजी का उपयोग उपभोग कर रहे है। रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट्स के कब्जे काश्त में दखलंदाजी कर रहे है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 अप्रैल 2024 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट की पुश्तैनी भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है जो कानूनन पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए अपीलाधीन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वर्तमान में विचाराधीन है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा की राय में इस स्तर पर अपीलाधीन आदेश में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 298/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/538) बअनवान सुजाराम बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतिम निस्तारण हेतु मामला विचारण न्यायालय को दिशा-निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एक माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम रूप से विधिसम्मत निस्तारण करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 03 मार्च 2025 को उपस्थित रहे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर